[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 06/2021- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2021

सा.का.नि. (अ).-- केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 112 के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, का समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, 20% एथेनॉल संमिश्रित पेट्रोल जो ऐसा सम्मिश्र है, -

(क) जो 80% मोटर स्प्रिट (सामान्यता पेट्रोल के रूप में ज्ञात) जिस पर समुचित उत्पाद शुल्क का संदाय किया गया है और 20% एथेनॉल, जिस पर यथास्थिति, समुचित केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर या एकीकृत कर, का संदाय किया गया है, के परिणाम द्वारा मिलकर बनेगा; और
(ख) भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देशन 17021 के अनुरूप है,

को, वित्त अधिनियम, 2018 की पूर्वोक्त धारा के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (सड़क और अवसंरचना उपकर), से छूट प्रदान करती है ।

स्पष्टीकरण- इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ-

(क) समुचित उत्पाद शुल्क से तत्समय प्रवृत्त किसी सुसंगत छूट की अधिसूचना के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की चौथी अनुसूची के अधीन उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क, वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 112 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, वित्त विधेयक, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 के अधीन उद्ग्रहणीय विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और वित्त विधेयक, 2021 (2021 का 15) के खंड 116 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (कृषि अवसंरचना और विकास उपकर) जो अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, अभिप्रेत है; और
(ख) समुचित केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर से केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), संबद्ध राज्य के राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) के अधीन उद्ग्रहणीय केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर अभिप्रेत होगा ।

2. यह अधिसूचना तारीख 2 फरवरी, 2021 को प्रवृत्त होगी ।

[फा.सं. 334/02/2021-टीआरयू]

(राजीव रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार